न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

आदेश

वाद सं0 एम0 136 / 2022–23
धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता

प्रथम पक्ष..... जुएल टोपनो .....(वगैरह)
बनाम
द्वितीय पक्ष ..... एफिल टोपनो .....(वगैरह)

10.2.23

वाद की कार्रवाई थाना कामडारा के अप्रथामिकी संख्या 12/2022 दिनांक 28.11.2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है **प्रथम पक्ष** :– (1) जुएल टोपनो उम्र करीब 67 वर्ष पिता स्व० प्रसाद मुण्डा टोपनो (2) एलेकजेण्डर टोपनो उम्र करीब 35 वर्ष पिता– जुएल टोपनो, सा० – चितापीड़ी, थाना– कामडारा, जिला– गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** :– (1) एफिल टोपनो उम्र करीब 40 वर्ष (2) इसाक टोपनो उम्र करीब 35 वर्ष दोनों के पिता – स्व० दानियल मुण्डा, (3) रंजन टोपनो उम्र करीब 30 वर्ष, पिता– लोडगो मुण्डा (4) लोडगो मुण्डा उम्र करीब 69 वर्ष पिता– स्व0 वरना मुण्डा सा० सा० – चितापीड़ी, थाना– कामडारा, जिला– गुमला के बीच मौजा – चितापीड़ी के खाता सं0 102 प्लॉट सं० 1286, 1451, 1454, 1459 1460, 1477, 1500, 1501, 1517, 1518, 1525, 1569, 1518, 1606, एवं 1608 रकबा 0.35, 0.19, 0.21, 0.15, 0.15, 0.09, 0.09, 0.15, 0.12, 0.14, 0.12, 0.36, 0.42, 0.18, एवं 0.18 एकड़ को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ है। जिसको लेकर उभय पक्षी के आपसी उभय पक्षों के बीच शांति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो सकती है। थाना प्रभारी कामडारा के प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मदेनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है।

प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एंव दाखिल कागजात :–

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि प्रथम पक्ष शांतिप्रिय व्यक्ति है एवं कानून को मानने वाला है और प्रथम पक्ष की तरफ से शांति भंग होने की कोई संभावना नहीं है । द्वितीय पक्ष के सदस्य संख्याबल में अधिक है जबकि प्रथम पक्ष अकेला एवं वृद्ध व्यक्ति है एवं द्वितीय पक्ष संख्या बल में अधिक होने के कारण कभी भी कोई अप्रिय घटना कर सकते हैं । द्वितीय पक्ष के सदस्य उदण्ड और झगड़ालू किस्म के व्यक्ति है और प्रथम पक्ष के हिस्से के जमीन पर जबरदस्ती खेती करना चाहते है। मना करने पर जान से मारने की धमकी देते है । प्रस्तुत वाद जमीन बॅटवारा से संबंधित है और सभी पक्षों के बीच सन् 1932 से पहले खेवट के अनुसार बॅटवारा हो चुका है जो पुलिस प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है । पुलिस प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि जमीन अंतर्गत

मौजा– चितापीडी, खेवट नं० नं० 7/4 खाता नं० 102 प्लॉट 1286, 1451, 1454, 1459, 1460, 1477, 1500, 1501, 1517, 1525, 1518, 1569, 1581, 1606, 1608, टोटल रकबबा 3 एकड़ 30 डी० खतियानी जमीन है जो मसीह प्रकाश मुण्डा, पिता निर्मल मुण्डा के नाम से दर्ज है। जिनकी वंशावली निम्न है: –

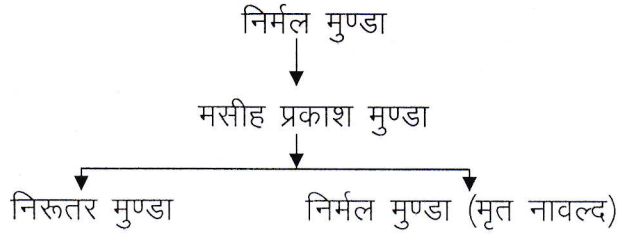

निरूतर मुण्डा पिता मसीह प्रकाश मुण्डा 50 साल पूर्व प्रथम पक्ष जुएल तोपनो के पिता स्व० प्रसाद मुण्डा को उपरोक्त जमीन का जिम्मा देकर आसाम चला गया और तब से प्रथम पक्ष के पिता स्व० प्रसाद मुण्डा खेती करते चले आ रहे थे और वर्तमान मे प्रथम पक्ष जुएल तोपनो खेती कर रहे हैं। उपरोक्त जमीन का मालगुजारी रसीद नाम देहिन्दा प्रथम पक्ष जुएल तोपनो सरकार को मालगुजारी रसीद कटाते आ रहे हैं और सरकार को लगान दे रहे है। उपरोक्त जमीन पर द्वितीय पक्ष के सदस्यो का कोई हक वो सरोकार नहीं है और बिना हक वो सरोकार के प्रथम पक्ष के जमीन पर दल बल के साथ खेती किए है और जान से मारने की धमकी देते हैं । विवादित जमीन द्वितीय पक्ष के पैतृक सम्पति नहीं है और द्वितीय है पक्ष के सदस्य बरना मुण्डा खेवट नं०– 7 / 2 के वंशज हैं और खेवट नं० 7/8 एतवा मुण्डा के हिस्से टोटल 14 एकड़ 70 डी० जमीन को जोत कोड़ कर रहे हैं । प्रथम पक्ष खेवट नं०– 7 / 1, 7/3, 7/4 रकबा क्रमशः – 5.90 ए० 3.76 ए० 3.30 ए० टोटल रकबा – 12.96 ए० खेती कर रहे हैं । खेवट नं० 7 / 4 खाता नं० 102 कुल रकबा एकड़ 20 डी० वकाश्त भूइहरी महतोई लगान पानेवाला मसीह प्रकाश मुण्डा के नाम दर्ज है और मसीह प्रकाश प्र० पक्ष जुएल तोपनो के पिता स्व० प्रसाद मुण्डा को जिम्मा देकर आसाम चले गये तब से प्र० पक्ष शांति पूर्वक उक्त जमीन पर दखलकार एवं काविज है । द्वितीय पक्ष के सदस्य संख्या बल में अधिक हैं और दबंग एवं बदमाश प्रवृति के व्यक्ति हैं। जिसके कारण प्रथम पक्ष के सदस्य का कभी भी जान माल का खतरा हो सकता है और उपरोक्त प्रथम पक्ष के काबिज जमीन को हड़पने के लिए द्वितीय पक्ष के सदस्य कभी भी कोई अप्रिय घटना कर सकते हैं। द्वि० पक्ष के सदस्यों को प्रश्नगत जमीन पर कोई हक एवं दखल कब्जा नहीं है। प्रथम पक्ष फौजी रिटायर व्यक्ति है और कानून को मानने वाला है और प्रथम पक्ष के तरफ से शांति भंग होने की कोई संभावना नहीं है । द्वितीय पक्ष के सदस्य प्रथम पक्ष के जमीन को हड़पने के लिए कभी भी कोई अप्रिय घटना कर सकते हैं।

उपरोक्त परिस्थिति एवं साक्ष्यो के आधार पर श्रीमान से अनुरोध है कि 144 द० प्र० की कार्यवाही प्रथम पक्ष के हित में विलुप्त करते हुए द्वि० पक्ष के सदस्य के विरूद्ध स्थिर किया जाय । जिसके लिये प्र० पक्ष श्रीमान् का हमेशा के लिये आभारी रहेगा ।

प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1 लगान रसीद की छायाप्रति।

2 खतियान की छायाप्रति।

द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एवं दाखिल कागजात :–

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि कामडारा थाना के अप्राथमिकी सं. 12/2022 दिनांक 28.11.2022 के कार्यवाही अंतर्गत यह वाद द्वितीय पक्ष के विरुध्द्ध लाया गया है जो चलने योग्य नहीं है। द्वितीय पक्ष के सदस्य कानून को मानने वाले सामाजिक शान्ति प्रिये व्यक्ति है। द्वितीय पक्ष की ओर शान्ति भंग होने की संभावना नहीं है बल्कि प्रार्थी की ओर से शान्ति भंग होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। विवाद का कारण मौजा चिताशिढ़ी, थाना कामडारा, थाना नं. 67, खेवट नं. 714, खाता नं.– 102, प्लॉट नं. – 1286, 1451, 1454, 1449, 1460, 1477, 1500, 1501, 1517, 1518, 1525, 1569, 1581, 1606, 1608 3.20 एकड़ जमीन है जिसका चौहदी का वर्णन नहीं है। उपरोक्त वर्णित जमीन उभय पक्षों के परिवार की खतियानी जमीन है जिस 3 पर द्वितीय पक्ष शान्तिपूर्वक जोत आवाद करते आ रहे है एवं लगान रसीद कटाते है प्रथम पक्ष का किसी भी प्रकार का सरोकार नहीं है यदि प्रथम पक्ष हिस्सेदार है तो अपने हिस्सा की जमीन प्राप्त करने के लिए सक्षम न्यायालय जाय। प्रश्नगत भूमि में द्वितीय पक्ष सदियों से खेती–बारी करते आ रहे है शान्तिप्रिय द्वितीय पक्ष की जमीन को हड़पने के विचार से कानून को हाथ में लेते है एवं शान्ति भंग करने की कोशिश करते है। द्वितीय पक्ष कानून को मानने वाले व्यक्ति है द्वितीय पक्ष की ओर से शान्ति भंग होने की संभावना नहीं है बल्कि प्रथम पक्ष के सदस्यों से शान्ति भंग होने की प्रबल संभावना बनी रहती है।

अतः श्रीमान से नम्र प्रार्थना है कि कारण पृच्छा को स्वीकार करते हुए द्वितीय पक्ष के हित में आदेश पारित किया जाय और प्रथम पक्ष के विरुध किया जाय और प्रथम पक्ष को विवादी जमीन में जाने से रोका जाय। जिसके लिए द्वितीय पक्ष श्रीमान का सदा आभारी रहेंगे।

द्वितीय पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1 अप्राप्त

निष्कर्ष

उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा दाखिल लिखित जवाब से मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि वाद्गत भूमि बसिया थाना नं० 50 जिला गुमला अंतर्गत खाता सं0 254 प्लॉट सं0 1906, 1907, 1909 एवं 1910 रकबा 0.28, 0.03, 0.08, एवं 0.14 कुल रकबा 0.53 एकड़ जमीन से संबंधित हैं। वादग्त भूमि बटवारा एवं स्वत्व से संबंधित है। वर्तमान में वादग्त भूमि को लेकर शांति भंग होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही बिना गुण–दोष के समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.09.23 15:10:58 +05:30
Location: 192.168.1.4